DAWAT-E-ISLAMI

रिसाला नम्बर :136

Musafir Ki Namaz (Hindi)

मुसाफ़िर की नमाज़

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी र-ज़वी دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले । (المستطرف ج۱ ص۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

तालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

मुसाफ़िर की नमाज़

येह रिसाला (**मुसाफ़िर की नमाज़**)

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है । इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)
मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद
के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

मुसाफ़िर की नमाज़ (ह़-नफ़ी)

बराहे करम ! येह रिसाला (17 सफ़ह़ात) मुकम्मल पढ़ लीजिये, اِنۡ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ इस के फ़वाइद ख़ुद ही देख लेंगे ।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

सरवरे ज़ीशान, मह़बूबे रह़मान صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने मग़्फ़िरत निशान है : "जब जुम्अ़रात का दिन आता है **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ फ़िरिश्तों को भेजता है जिन के पास चांदी के काग़ज़ और सोने के क़लम होते हैं वोह लिखते हैं, कौन **यौमे जुम्अ़रात** और **शबे जुमुआ़** मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ता है ।" (اِبنِ عَساکِر ج ۴۳ ص ۱۴۲)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

अल्लाह तबा-र-क व तआ़ला सू-रतुन्निसाअ की आयत नम्बर 101 में इर्शाद फ़रमाता है :

وَ اِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِی الۡاَرۡضِ فَلَیۡسَ عَلَیۡکُمۡ جُنَاحٌ اَنۡ تَقۡصُرُوۡا مِنَ الصَّلٰوۃِ ٭ۖ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَنۡ یَّفۡتِنَکُمُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ؕ اِنَّ الۡکٰفِرِیۡنَ کَانُوۡا لَکُمۡ عَدُوًّا مُّبِیۡنًا ﴿۱۰۱﴾

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि बा'ज़ नमाज़ें क़स्र से पढ़ो, अगर तुम्हें अन्देशा हो कि काफ़िर तुम्हें ईज़ा देंगे, बेशक कुफ़्फ़ार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं ।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस पर दस रह़मतें भेजता है। (مسلم)

अब तो अम्न है फिर भी क़स्र क्यूं ?

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِى फ़रमाते हैं : ख़ौफ़े कुफ़्फ़ार क़स्र के लिये शर्त़ नहीं। ह़ज़रते (सय्यिदुना) या'ला बिन उमय्या رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه ने ह़ज़रते (सय्यिदुना) उ़मर رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه से अ़र्ज़ की, कि हम तो अम्न में हैं, फिर हम क्यूं क़स्र करते हैं ? फ़रमाया : इस का मुझे भी तअ़ज्जुब हुवा था तो मैं ने सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से दरयाफ़्त किया। हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : तुम्हारे लिये येह **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की त़रफ़ से स-दक़ा है तुम उस का स-दक़ा क़बूल करो।

(مُسلِم ص٣٤٧حديث٦٨٦, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, स. 185)

पहले चार नहीं बल्कि दो रक्अ़तें ही फ़र्ज़ की गईं

उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यि-दतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا रिवायत फ़रमाती हैं : नमाज़ दो रक्अ़त फ़र्ज़ की गई फिर जब सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने हिजरत फ़रमाई तो चार फ़र्ज़ की गई और सफ़र की नमाज़ उसी पहले फ़र्ज़ पर छोड़ी गई।

(بُخاری ج٢ص٦٠٤حديث٣٩٣٥)

ह़ज़रते सय्यिदुना **अ़ब्दुल्लाह** बिन अ़ब्बास رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا और **ह़ज़रते** सय्यिदुना **अ़ब्दुल्लाह** बिन उ़मर رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत है, **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के ह़बीब, ह़बीबे लबीब صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने नमाज़े सफ़र की दो रक्अ़तें मुक़र्रर फ़रमाईं और येह पूरी है कम नहीं। (اِبنِ ماجه ج٢ص٥٦ حديث ١١٩٤) या'नी अगर्चे ब ज़ाहिर दो रक्अ़तें कम हो गईं मगर सवाब में दो ही चार के बराबर हैं।

शर-ई सफ़र की मसाफ़त (फ़ासिला)

शरअन मुसाफ़िर वोह शख़्स है जो तीन दिन के फ़ासिले तक जाने के इरादे से अपने मक़ामे इक़ामत म-सलन शहर या गाउं से बाहर हो गया । ख़ुश्की में सफ़र पर तीन दिन की मसाफ़त से मुराद साढ़े सत्तावन मील (तक़रीबन 92 किलो मीटर) का फ़ासिला है ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 8, स. 243, 270, बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 740, 741)

मुसाफ़िर कब होगा ?

महज़ निय्यते सफ़र से मुसाफ़िर न होगा बल्कि मुसाफ़िर का हुक्म उस वक़्त है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए, शहर में है तो शहर से, गाउं में है तो गाउं से और शहर वाले के लिये येह भी ज़रूरी है कि शहर के आस पास जो आबादी शहर से **मुत्तसिल** (या'नी मिली हुई) है उस से भी बाहर आ जाए । (دُرِّمُختار ورَدُّالمُحتار ج۲ص۷۲۲)

आबादी ख़त्म होने का मत़लब

आबादी से बाहर होने से मुराद येह है कि जिधर जा रहा है उस त़रफ़ आबादी ख़त्म हो जाए अगर्चे उस की महाज़ात (म-सलन उस की किसी और सम्त) में दूसरी त़रफ़ ख़त्म न हुई हो । (غُنیہ ص ٥٣٦)

फ़िनाए शहर की ता'रीफ़

फ़िनाए शहर से जो गाउं **मुत्तसिल** (या'नी मिला हुवा) है शहर वाले के लिये उस गाउं से बाहर हो जाना ज़रूरी नहीं, यूंही शहर के **मुत्तसिल** (या'नी मिले हुए) बाग़ हों अगर्चे उन के निगहबान और काम

करने वाले उन बाग़ात ही में रहते हों, उन बाग़ों से निकल जाना ज़रूरी नहीं। फ़िनाए शह्र या'नी शह्र से बाहर जो जगह शह्र के कामों के लिये हो म-सलन क़ब्रिस्तान, घोड़दौड़ का मैदान, कूड़ा फेंकने की जगह अगर येह शह्र से **मुत्तसिल** (या'नी मिले हुए) हों तो उस से बाहर हो जाना ज़रूरी है और अगर शह्र व फ़िना के दरमियान फ़ासिला हो तो नहीं। (رَدُّالْمُحتار ج۲ص۷۲۲)

मुसाफ़िर बनने के लिये शर्त़

सफ़र के लिये येह भी ज़रूरी है कि जहां से चला वहां से तीन दिन की राह (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) का इरादा हो और अगर दो दिन की राह (या'नी 92 किलो मीटर से कम) के इरादे से निकला वहां पहुंच कर दूसरी जगह का इरादा हुवा कि वोह भी तीन दिन (92 किलो मीटर) से कम का रास्ता है यूंही सारी दुन्या घूम कर आए मुसाफ़िर नहीं। (غُنْيَه ص۵۳۷، دُرِّمُختار ج۲ص۷۲۳،۷۲۴) येह भी शर्त़ है कि तीन दिन की राह के सफ़र का **मुत्तसिल** (या'नी पै दर पै, लगातार) इरादा हो, अगर यूं इरादा किया कि म-सलन दो दिन की राह पर पहुंच कर कुछ काम करना है वोह कर के फिर एक दिन की राह जाऊंगा तो येह तीन दिन की राह का **मुत्तसिल** (या'नी लगातार) इरादा न हुवा मुसाफ़िर न हुवा।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 743)

शर-ई सफ़र की मिक़्दार और सिटी सेन्टर

येह बात ज़ेह्न में रहे कि शह्र की आबादी ख़त्म होने के बा'द मसाफ़त (या'नी फ़ासिले) की मिक़्दार देखी जाएगी। आज कल वस्ते

शह्र (City Centre) से फ़ासिले की पैमाइश होती है जो कि "शर-ई सफ़र" के लिये नाकाफ़ी है। म-सलन (ता दमे तह़रीर 2017 सि.ई.) बाबुल मदीना (कराची) की पैमाइश सिविक सेन्टर (Civic Centre) से की जाती है, लिहाज़ा सफ़र करने वालों को चाहिये कि हमेशा **मुत्तसिल** (या'नी मिली हुई) आबादी के इख़्तिताम (End) का लिह़ाज़ अपने सामने रखें और दो बातें मज़ीद ज़ेह्न में रखें, एक येह कि ज़रूरी नहीं कि एक मर्तबा सफ़र के दौरान जहां शह्र की आबादी ख़त्म हुई थी तीन साल बा'द भी वोही ह़द हो कि बड़ी तेज़ी से आबादी के फैलाव की वज्ह से तीन साल में ही शह्र कहां से कहां पहुंच जाता है। दूसरी बात येह कि शह्र की जिस सम्त से निकलना है उसी सम्त की आबादी का ए'तिबार होगा म-सलन कराची से टोल प्लाज़ा के रास्ते में आबादी का इख़्तिताम (End) और जगह होता है जब कि ठट्ठा की त़रफ़ आबादी का इख़्तिताम (End) और जगह होगा कि दोनों सम्तें मुख़्तलिफ़ हैं।

वत़न की क़िस्में

वत़न की दो क़िस्में हैं : ﴿1﴾ **वत़ने अस्ली : या'नी** वोह जगह जहां इस की पैदाइश हुई है या इस के घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत (या'नी रिहाइश इख़्तियार) कर ली और येह इरादा है कि यहां से न जाएगा ﴿2﴾ **वत़ने इक़ामत : या'नी** वोह जगह कि मुसाफ़िर ने पन्दरह दिन या इस से ज़ियादा ठहरने का वहां इरादा किया हो।

(عالمگیری ج۱ص۱۴۲)

वत़ने इक़ामत बात़िल होने की सूरतें

वत़ने इक़ामत दूसरे वत़ने इक़ामत को बात़िल कर देता है या'नी एक जगह पन्दरह दिन के इरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा तो पहली जगह अब वत़न न रही। दोनों के दरमियान मसाफ़ते सफ़र हो या न हो। यूंही वत़ने इक़ामत वत़ने अस्ली और सफ़र से बात़िल हो जाता है। (دُرِّمُختار ج۲ ص۷۳۹, बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 751)

सफ़र के दो रास्ते

किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक से मसाफ़ते सफ़र है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से येह जाएगा उस का ए'तिबार है, नज़्दीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफ़िर नहीं और दूर वाले से गया तो है अगर्चे उस रास्ते के इख़्तियार करने में उस की कोई ग़-रज़े सह़ीह़ न हो।

(عالمگیری ج۱ ص۱۳۸، دُرِّمُختار ورَدُّالْمُحتار ج۲ ص۷۲۶)

मुसाफ़िर कब तक मुसाफ़िर है

मुसाफ़िर उस वक़्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में पहुंच न जाए या आबादी में पूरे 15 दिन ठहरने की निय्यत न कर ले। येह उस वक़्त है जब पूरे तीन दिन की राह (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) चल चुका हो, अगर तीन मन्ज़िल (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) पहुंचने से पेश्तर (या'नी क़ब्ल) वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा अगर्चे जंगल में हो। (ایضاص۱۳۹، دُرِّمُختار ج۲ ص۷۲۸)

सफ़र ना जाइज़ हो तो ?

सफ़र जाइज़ काम के लिये हो या ना जाइज़ काम के लिये बहर ह़ाल मुसाफ़िर के अह़काम जारी होंगे। (عالمگیری ج ۱ ص۱۳۹)

सेठ और नोकर का इकट्ठा सफ़र

माहाना या सालाना इजारे वाला नोकर अगर अपने सेठ के साथ सफ़र करे तो सेठ के ताबेअ़ है, फ़रमां बरदार बेटा वालिद के ताबेअ़ है और वोह शागिर्द जिस को उस्ताद से खाना मिलता है वोह उस्ताद के ताबेअ़ है या'नी जो निय्यत मत्बूअ़ (या'नी जिस के मा तहूत है उस) की है वोही ताबेअ़ (या'नी मा तहूत) की मानी जाएगी । ताबेअ़ (या'नी मा तहूत) को चाहिये कि मत्बूअ़ से सुवाल करे, वोह जो जवाब दे उस के ब मूजिब (या'नी मुताबिक़) अ़मल करे । अगर उस ने कुछ भी जवाब न दिया तो देखे कि वोह (या'नी मत्बूअ़) मुक़ीम है या मुसाफ़िर, अगर मुक़ीम है तो अपने आप को भी मुक़ीम समझे और अगर मुसाफ़िर है तो मुसाफ़िर । और येह भी मा'लूम नहीं तो तीन दिन की राह (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) का सफ़र तै़ करने के बा'द क़स्र करे, इस से पहले पूरी पढ़े और अगर सुवाल न कर सका तो वोही हुक्म है कि सुवाल किया और कुछ जवाब न मिला ।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 745, 746)

काम हो गया तो चला जाऊंगा !

मुसाफ़िर किसी काम के लिये या अह़बाब के इन्तिज़ार में दो चार रोज़ या तेरह चौदह दिन की निय्यत से ठहरा, या येह इरादा है कि काम हो जाएगा तो चला जाएगा, दोनों सूरतों में अगर आज कल आज कल करते बरसों गुज़र जाएं जब भी मुसाफ़िर ही है नमाज़ क़स्र पढ़े ।

(عالمگیری ج۱ص۱۳۹وغیرہ،ایضاًص۱۴۷)

औ़रत के सफ़र का मस्अला

औ़रत को बिग़ैर महरम के तीन दिन (तक़रीबन 92 किलो मीटर) या ज़ियादा की राह जाना जाइज़ नहीं। ना बालिग़ बच्चे या मा'तूह (या'नी आधे पागल) के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती, हमराही में (या'नी साथ) बालिग़ महरम या शोहर का होना ज़रूरी है। (عالمگیری ج۱ص۱۴۲) औ़रत, मुराहिक़ महरम (या'नी बालिग़ होने के क़रीब लड़के) के साथ सफ़र कर सकती है। मुराहिक़ बालिग़ के हुक्म में है। महरम के लिये ज़रूरी है कि सख़्त फ़ासिक़, बेबाक, ग़ैर मामून (या'नी ग़ैर महफ़ूज़) न हो।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 752, 1044, 1045)

औ़रत का सुसराल और मयका

औ़रत बियाह कर सुसराल गई और यहीं रहने सहने लगी तो मयका (या'नी औ़रत के वालिदैन का घर) इस के लिये **वत़ने अस्ली** न रहा या'नी अगर सुसराल तीन मन्ज़िल (तक़रीबन 92 किलो मीटर) पर है, वहां से मयके आई और पन्दरह दिन ठहरने की निय्यत न की तो क़स्र पढ़े और अगर मयके रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसराल आ़रिज़ी त़ौर पर गई तो मयके आते ही सफ़र ख़त्म हो गया नमाज़ पूरी पढ़े।

(ऐज़न, स. 751)

अ़रब ममालिक में वीज़ा पर रहने वालों का मस्अला

आज कल कारोबार वग़ैरा के लिये कई लोग बाल बच्चों समेत अपने मुल्क से दूसरे मुल्क मुन्तक़िल हो जाते हैं। इन के पास मख़्सूस

मुद्दत का Visa होता है। (म-सलन अ़रब अमारात में ज़ियादा से ज़ियादा तीन साल का रिहाइशी वीज़ा मिलता है) येह वीज़ा आ़रिज़ी होता है और मख़्सूस रक़म अदा कर के हर तीन साल के आख़िर में इस की तज्दीद (Renew) करवानी पड़ती है। **चूंकि वीज़ा महदूद मुद्दत के लिये मिलता है लिहाज़ा बाल बच्चे भी अगर्चे साथ हों इस की अमारात में मुस्तक़िल क़ियाम की निय्यत बेकार है और इस त़रह़ ख़्वाह कोई 100 साल तक यहां रहे अमारात उस का वत़ने अस्ली नहीं हो सकता।** येह जब भी सफ़र से लौटेगा और क़ियाम करना चाहे तो इक़ामत की निय्यत करनी होगी। म-सलन **दुबई** में रहता है और सुन्नतों की तरबियत के लिये **दा'वते इस्लामी** के **म-दनी क़ाफ़िले** में आ़शिक़ाने रसूल के साथ तक़्रीबन 150 किलो मीटर दूर वाक़ेअ़ अमारात के दारुल ख़िलाफ़ा **अबू ज़ह़बी** का इस ने सुन्नतों भरा सफ़र इख़्तियार किया। अब दोबारा **दुबई** में आ कर अगर इस को मुक़ीम होना है तो 15 दिन या इस से ज़ाइद क़ियाम की निय्यत करनी होगी वरना मुसाफ़िर के अह़काम जारी होंगे। हां अगर ज़ाहिरे ह़ाल या'नी (Understood) येह है कि अब 15 दिन या इस से ज़ियादा अ़र्सा येह **दुबई** में ही गुज़ारेगा तो मुक़ीम हो गया। अगर इस का कारोबार ही इस त़रह़ का है कि मुकम्मल 15 दिन रात येह **दुबई** में नहीं रहता, वक़्तन फ़ वक़्तन शर-ई सफ़र करता है तो इस त़रह़ अगर्चे बरसों अपने बाल बच्चों के पास **दुबई** आना जाना रहे येह मुसाफ़िर ही रहेगा इस को नमाज़ क़स्र करनी होगी। अपने शह्र के

बाहर दूर दूर तक माल सप्लाय करने वाले और शह्र ब शह्र, मुल्क ब मुल्क फेरे लगाने वाले और ड्राइवर साहिबान वग़ैरा इन अह़काम को ज़ेह्न में रखें ।

ज़ाइरे मदीना के लिये ज़रूरी मस्अला

जिस ने इक़ामत की निय्यत की मगर उस की ह़ालत बताती है कि पन्दरह दिन न ठहरेगा तो निय्यत सह़ीह़ नहीं म-सलन **ह़ज** करने गया और **ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम** का महीना शुरूअ़ हो जाने के बा वुजूद पन्दरह दिन **मक्कए मुअ़ज़्ज़मा** زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا में ठहरने की निय्यत की तो येह निय्यत बेकार है कि जब ह़ज का इरादा किया है तो (15 दिन इस को मिलेंगे ही नहीं कि 8 **ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम**) **मिना शरीफ़** (और 9 को) **अ़-रफ़ात शरीफ़** को ज़रूर जाएगा फिर इतने दिनों तक (या'नी 15 दिन मुसल्सल) **मक्कए मुअ़ज़्ज़मा** زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا में क्यूंकर ठहर सकता है ! **मिना शरीफ़** से वापस हो कर निय्यत करे तो सह़ीह़ है । (عالمگیری ج۱ ص۱٤۰، دُرِّمُختار ج۲ ص۷۲۹) जब कि वाक़ेई 15 या ज़ियादा दिन **मक्कए मुअ़ज़्ज़मा** زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا में ठहर सकता हो, अगर ज़न्ने ग़ालिब हो कि 15 दिन के अन्दर अन्दर **मदीनए मुनव्वरह** زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا या वत़न के लिये रवाना हो जाएगा तो अब भी मुसाफ़िर है ।

उ़म्रे के वीज़ा पर ह़ज के लिये रुकना कैसा ?

उ़म्रे के वीज़ा पर जा कर ग़ैर क़ानूनी त़ौर पर **ह़ज** के लिये रुकने या दुन्या के किसी भी मुल्क में Visa की मुद्दत पूरी होने के बा'द ग़ैर

क़ानूनी रहने की जिन की निय्यत हो वोह वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होते वक़्त जिस शहर या गाउं में मुक़ीम हों वहां जब तक रहेंगे उन के लिये मुक़ीम ही के अह़काम होंगे अगर्चे बरसों पड़े रहे मुक़ीम ही रहेंगे । अलबत्ता एक बार भी अगर 92 किलो मीटर या इस से ज़ियादा फ़ासिले के सफ़र के इरादे से उस शहर या गाउं से चले तो अपनी आबादी से बाहर निकलते ही मुसाफ़िर हो गए और अब उन की इक़ामत की निय्यत बेकार है । म-सलन कोई शख़्स पाकिस्तान से उ़म्रे के Visa पर **मक्कए मुकर्रमा** زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا गया, Visa की मुद्दत ख़त्म होते वक़्त भी मक्का शरीफ़ ही में मुक़ीम है तो उस पर मुक़ीम के अह़काम हैं । अब अगर म-सलन वहां से **मदीनए मुनव्वरह** زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا **आ गया तो चाहे बरसों ग़ैर क़ानूनी पड़ा रहे, मगर मुसाफ़िर ही है, यहां तक कि अगर दोबारा मक्कए मुकर्रमा** زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا **आ जाए फिर भी मुसाफ़िर रहेगा, उस को नमाज़ क़स्र ही अदा करनी होगी । हां अगर दोबारा Visa मिल गया तो इक़ामत की निय्यत की जा सकती है । याद रहे ! जिस क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने पर ज़िल्लत, रिश्वत और झूट वग़ैरा आफ़ात में पड़ने का अन्देशा हो उस क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी जाइज़ नहीं ।** चुनान्चे मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : मुबाह़ (या'नी ऐसा काम जिस के करने में न सवाब हो न गुनाह ऐसी जाइज़) सूरतों में से बा'ज़ (सूरतें) क़ानूनी तौ़र पर जुर्म होती हैं उन में मुलव्वस होना (या'नी ऐसे क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करना) अपनी ज़ात

को अज़िय्यत व ज़िल्लत के लिये पेश करना है और वोह ना जाइज़ है। (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 17, स. 370) लिहाज़ा बिग़ैर Visa के दुन्या के किसी मुल्क में रहना या ह़ज के लिये रुकना जाइज़ नहीं। **ग़ैर क़ानूनी ज़राएअ़ से ह़ज के लिये रुकने में काम्याबी ह़ासिल करने को (مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ) अल्लाह व रसूल** عَزَّوَجَلَّ و صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **का करम कहना सख़्त बेबाकी है।**

क़स्र वाजिब है

मुसाफ़िर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्र करे या'नी चार रक्अ़त वाले फ़र्ज़ को दो पढ़े इस के ह़क़ में दो ही रक्अ़तें पूरी नमाज़ है और क़स्दन चार पढ़ीं और दो पर क़ा'दा किया तो फ़र्ज़ अदा हो गए और पिछली दो रक्अ़तें नफ़्ल हो गईं मगर गुनाहगार व अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार है कि वाजिब तर्क किया लिहाज़ा तौबा करे और दो रक्अ़त पर का'दा न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुए और वोह नमाज़ नफ़्ल हो गई, हां अगर तीसरी रक्अ़त का सज्दा करने से पेशतर इक़ामत की निय्यत कर ली तो फ़र्ज़ बातिल न होंगे मगर क़ियाम व रुकूअ़ का इआ़दा करना होगा और अगर तीसरी के सज्दे में निय्यत की तो अब फ़र्ज़ जाते रहे यूंही अगर पहली दोनों या एक में क़िराअत न की नमाज़ फ़ासिद हो गई।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 743, عالمگیری ج۱ ص۱۳۹)

क़स्र के बदले चार की निय्यत बांध ली तो.....?

मुसाफ़िर ने क़स्र के बजाए चार रक्अ़त फ़र्ज़ की निय्यत बांध ली फिर याद आने पर दो पर सलाम फैर दिया तो नमाज़ हो जाएगी। इसी

त़रह़ मुक़ीम ने चार रक्अ़त फ़र्ज़ की जगह दो रक्अ़त फ़र्ज़ की निय्यत की और चार पर सलाम फैरा तो उस की भी नमाज़ हो गई। फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام फ़रमाते हैं : "निय्यते नमाज़ में रक्अ़तों की ता'दाद मुक़र्रर करना ज़रूरी नहीं क्यूं कि येह ज़िम्नन ह़ासिल है। निय्यत में ता'दाद मुअ़य्यन (या'नी मुक़र्रर) करने में ख़त़ा (या'नी भूल) नुक़्सान देह नहीं।" (دُرِّمُختار ج۲ص۱۲۰)

मुसाफ़िर इमाम और मुक़ीम मुक़्तदी

इक़्तिदा दुरुस्त होने के लिये एक शर्त़ येह भी है कि इमाम का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मा'लूम हो ख़्वाह नमाज़ शुरूअ़ करते वक़्त मा'लूम हुवा या बा'द में, लिहाज़ा इमाम (अगर मुसाफ़िर हो तो उस) को चाहिये कि शुरूअ़ करते वक़्त अपना मुसाफ़िर होना ज़ाहिर कर दे, और शुरूअ़ में न कहा तो बा'द नमाज़ (या'नी सलाम फैरने के बा'द) कह दे : **"मुक़ीम ह़ज़रात अपनी नमाज़ें पूरी कर लें क्यूं कि मैं मुसाफ़िर हूं।"** (دُرِّمُختار ج۲ص۷۳۵) और शुरूअ़ में ए'लान कर चुका है जब भी बा'द में कह दे कि जो लोग उस वक़्त मौजूद न थे उन्हें भी मा'लूम हो जाए। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 749)

मुक़ीम मुक़्तदी और बक़िय्या दो रक्अ़तें

क़स्र वाली नमाज़ में मुसाफ़िर इमाम के सलाम फैरने के बा'द मुक़ीम मुक़्तदी जब अपनी बक़िय्या नमाज़ अदा करे तो फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रक्अ़त में **सू-रतुल फ़ातिह़ा** पढ़ने के बजाए अन्दाज़न उतनी देर चुप खड़ा रहे। (دُرِّمُختار ج۲ص۷۳۵, बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 748 माख़ूज़न)

क्या मुसाफ़िर को सुन्नतें मुआ़फ़ हैं ?

सुन्नतों में क़स्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जाएंगी, ख़ौफ़ और रवा-रवी (या'नी भागम भाग, घबराहट) की ह़ालत में सुन्नतें मुआ़फ़ हैं और अम्न की ह़ालत में पढ़ी जाएंगी । (عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۹)

"नमाज़" के चार ह़ुरूफ़ की निस्बत से चलती गाड़ी में नफ़्ल पढ़ने के 4 मदनी फूल

❁ **बैरूने** शह्र (या'नी शह्र के बाहर से मुराद वोह जगह है जहां से मुसाफ़िर पर क़स्र करना वाजिब होता है) सुवारी पर (म-सलन चलती कार, बस, वेगन में) भी नफ़्ल पढ़ सकता है और इस सूरत में इस्तिक़्बाले क़िब्ला (या'नी क़िब्ला रुख़ होना) शर्त़ नहीं बल्कि सुवारी (या गाड़ी) जिस रुख़ को जा रही हो उधर ही मुंह हो और अगर उधर मुंह न हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं और शुरूअ़ करते वक़्त भी क़िब्ले की त़रफ़ मुंह होना शर्त़ नहीं बल्कि सुवारी (या गाड़ी) जिधर जा रही है उसी त़रफ़ मुंह हो और रुकूअ़ व सुजूद इशारे से करे और (ज़रूरी है कि) सज्दे का इशारा ब निस्बत रुकूअ़ के पस्त हो । (या'नी रुकूअ़ के लिये जिस क़दर झुका, सज्दे के लिये उस से ज़ियादा झुके) (دُرِّمُختار ورَدُّالمُحتار ج ۲ ص ۵۸۸, बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 671) **चलती** ट्रेन वग़ैरा ऐसी सुवारी जिस में जगह मिल सकती है उस में क़िब्ला रुख़ हो कर क़ाइदे के मुत़ाबिक़ नवाफ़िल पढ़ने होंगे ❁ **गाउं** में रहने वाला जब गाउं से बाहर हुवा तो सुवारी (गाड़ी) पर नफ़्ल

पढ़ सकता है । (رَدُّالْمُحتار ج۲ ص ۵۸۸) ❁ **बैरूने** शह्र (या'नी शह्र के बाहर) सुवारी पर नमाज़ शुरूअ़ की थी और पढ़ते पढ़ते शह्र में दाख़िल हो गया तो जब तक घर न पहुंचा सुवारी पर पूरी कर सकता है । (دُرِّمُختار ج۲ ص۵۸۹) ❁ **चलती** गाड़ी में बिला उ़ज़्रे शर-ई फ़र्ज़ व सुन्नते फ़ज्र तमाम वाजिबात जैसे वित्र व नज़्र (या'नी मन्नत) और वोह नफ़्ल जिस को तोड़ दिया हो और सज्दए तिलावत जब कि आयते सज्दा ज़मीन पर तिलावत की हो अदा नहीं कर सकता और अगर उ़ज़्र की वज्ह से हो तो इन सब में शर्त येह है कि अगर मुम्किन हो तो क़िब्ला रू खड़ा हो कर अदा करे वरना जैसे भी मुम्किन हो और बा'द में नमाज़ का इआ़दा कर ले । (या'नी दोबारा पढ़ ले) (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 673)

मुसाफ़िर तीसरी रक्अ़त के लिये खड़ा हो जाए तो.....?

अगर मुसाफ़िर क़स्र वाली नमाज़ की तीसरी रक्अ़त शुरूअ़ कर दे तो इस की दो सूरतें हैं : ﴾1﴿ ब क़दरे **तशह्हुद** क़ा'दए अख़ीरा कर चुका था तो जब तक तीसरी रक्अ़त का सज्दा न किया हो लौट आए और सज्दए सह्व कर के सलाम फैर दे अगर न लौटे और खड़े खड़े सलाम फैर दे तो भी नमाज़ हो जाएगी मगर सुन्नत तर्क हुई । अगर तीसरी रक्अ़त का सज्दा कर लिया तो एक और रक्अ़त मिला कर सज्दए सह्व कर के नमाज़ मुकम्मल करे (इब्तिदाई दो रक्अ़तें फ़र्ज़ और) येह आख़िरी दो रक्अ़तें नफ़्ल शुमार होंगी ﴾2﴿ क़ा'दए अख़ीरा किये बिग़ैर खड़ा हो गया था तो जब तक तीसरी रक्अ़त का सज्दा न किया हो लौट आए और

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग़्फ़िरत है। (ابن عساکر)

सज्दए सह्व कर के सलाम फैर दे अगर तीसरी रक्अ़त का सज्दा कर लिया फ़र्ज़ बातिल हो गए, अब एक और रक्अ़त मिला कर सज्दए सह्व कर के नमाज़ मुकम्मल करे चारों रक्अ़तें नफ़्ल शुमार होंगी। (दो रक्अ़त फ़र्ज़ अदा करने अभी ज़िम्मे बाक़ी हैं) **(دُرِّمُختار ورَدُّالْمُحتار ج۲ ص۶۶۷ ماخوذاً)**

सफ़र में क़ज़ा नमाज़ें

हालते इक़ामत में होने वाली क़ज़ा नमाज़ें सफ़र में भी पूरी पढ़नी होंगी और सफ़र में क़ज़ा होने वाली क़स्र वाली नमाज़ें मुक़ीम होने के बा'द भी क़स्र ही पढ़ी जाएंगी।

ग़मे मदीना, बक़ीअ़,
मग़्फ़िरत और बे
हिसाब जन्नतुल
फ़िरदौस में आक़ा के
पड़ोस का ता़लिब

जुमादिल ऊला 1438 सि.हि.
फ़रवरी 2017 ई.

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़रीबात, इज्तिमाआ़त, आ'रास और जुलूसे मीलाद वग़ैरा में **मक-त-बतुल मदीना** के शाएअ़ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़लेट तक़्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोह़फ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़्बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए़ अपने मह़ल्ले के घरों में ह़स्बे तौफ़ीक़ रिसाले या म-दनी फूलों के पेम्फ़लेट हर माह पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और ख़ूब सवाब कमाइये।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फ़िरिश्ते उस के लिये इस्तिग़फ़ार (या'नी बख़्शिश की दुआ़) करते रहेंगे। (طبرانی)

फ़ेहरिस

उ़न्वान	सफ़हा	उ़न्वान	सफ़हा
दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	1	ज़ाइरे मदीना के लिये ज़रूरी मस्अला	10
अब तो अम्न है फिर भी क़स्र क्यूं ?	2	उ़म्रे के वीज़ा पर ह़ज के लिये रुकना कैसा ?	10
पहले चार नहीं बल्कि दो रक्अ़तें ही फ़र्ज़ की गईं	2	क़स्र वाजिब है	12
शर-ई सफ़र की मसाफ़त (फ़ासिला)	3	क़स्र के बदले चार की निय्यत बांध ली तो.....?	12
मुसाफ़िर कब होगा ?	3	मुसाफ़िर इमाम और मुक़ीम मुक़्तदी	13
आबादी ख़त्म होने का मत़लब	3	मुक़ीम मुक़्तदी और बक़िय्या दो रक्अ़तें	13
फ़िनाए शह्र की ता'रीफ़	3	क्या मुसाफ़िर को सुन्नतें मुआ़फ़ हैं ?	14
मुसाफ़िर बनने के लिये शर्त़	4	चलती गाड़ी में नफ़्ल पढ़ने के 4 म-दनी फूल	14
शर-ई सफ़र की मिक़्दार और सिटी सेन्टर	4	मुसाफ़िर तीसरी रक्अ़त के लिये खड़ा हो जाए तो.....?	15
वत़न की क़िस्में	5	सफ़र में क़ज़ा नमाज़ें	16
वत़ने इक़ामत बात़िल होने की सूरतें	6	क़ुरआन भुला देने का अ़ज़ाब	18
सफ़र के दो रास्ते	6	3 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم	18
मुसाफ़िर कब तक मुसाफ़िर है	6	फ़रमाने र-ज़वी	19
सफ़र ना जाइज़ हो तो ?	6	मआख़िज़ो मराजेअ़	19
सेठ और नोकर का इकठ्ठा सफ़र	7		
काम हो गया तो चला जाऊंगा !	7		
औ़रत के सफ़र का मस्अला	8		
औ़रत का सुसराल और मयका	8		
अ़रब ममालिक में वीज़ा पर रहने वालों का मस्अला	8		

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जो मुझ पर एक दिन में **50** बार दुरूदे पाक पढ़े क़ियामत के दिन मैं उस से मुसा-फ़हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा। (ابن بشکوال)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

क़ुरआन भुला देने का अ़ज़ाब

यक़ीनन ह़िफ़्ज़े क़ुरआने करीम कारे सवाबे अ़ज़ीम है मगर याद रहे ! ह़िफ़्ज़ करना आसान मगर उ़म्र भर इस को याद रखना दुश्वार है। ह़ुफ़्फ़ाज़ व ह़ाफ़िज़ात को चाहिये कि रोज़ाना कम अज़ कम एक पारह लाज़िमन तिलावत कर लिया करें। जो ह़ुफ़्फ़ाज़ **र-मज़ानुल मुबारक** की आमद से थोड़ा अ़र्सा क़ब्ल फ़क़त़ मुसल्ला सुनाने के लिये मन्ज़िल पक्की करते हैं और इस के इ़लावा **مَعَاذَ اللّٰه** عَزَّوَجَلَّ सारा साल ग़फ़्लत के सबब कई आयात भुलाए रहते हैं, वोह बार बार पढ़ें और ख़ौफ़े ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ से लरज़ें। **दा'वते इस्लामी** के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ **बहारे शरीअ़त** जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 552 पर सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत़्त़रीक़ह, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : क़ुरआन पढ़ कर भुला देना **गुनाह** है। **जो** क़ुरआनी आयात याद करने के बा'द भुला देगा बरोज़े क़ियामत **अन्धा** उठाया जाएगा। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 553)

3 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

﴿1﴾ **मेरी** उम्मत के सवाब मेरे ह़ुज़ूर पेश किये गए यहां तक कि मैं ने उन में वोह तिन्का भी पाया जिसे आदमी मस्जिद से निकालता है और मेरी उम्मत के गुनाह मेरे ह़ुज़ूर पेश किये गए मैं ने इस से **बड़ा गुनाह** न देखा कि किसी आदमी को क़ुरआन की एक सूरत या एक आयत याद हो फिर वोह उसे भुला दे। (ترمذی ج٤ص٤٢٠ حدیث٢٩٢٥) ﴿2﴾ जो शख़्स क़ुरआन पढ़े फिर उसे भुला दे तो क़ियामत के दिन **अल्लाह** तआ़ला से कोढ़ी हो कर मिले। (ابوداؤد ج٢ ص١٠٧ حدیث ١٤٧٤) ﴿3﴾ क़ियामत के दिन मेरी उम्मत को जिस

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : बरोज़े क़ियामत लोगों में से मेरे क़रीब तर वोह होगा जिस ने दुन्या में मुझ पर ज़ियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (ترمذی)

गुनाह का पूरा बदला दिया जाएगा वोह येह है कि उन में से किसी को कुरआने पाक की कोई सूरत याद थी फिर उस ने इसे भुला दिया।

(جَمْعُ الْجَوامِع لِلسُّيُوطی ج۳ ص۱٤٥ حدیث۷۸۹٤)

फ़रमाने र-ज़वी

आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : उस से ज़ियादा नादान कौन है जिसे ख़ुदा ऐसी हिम्मत बख़्शे और वोह उसे अपने हाथ से खो दे अगर क़द्र इस (ह़िफ़्ज़े कुरआने पाक) की जानता और जो सवाब और द-रजात इस पर मौऊ़द हैं (या'नी जिन का वा'दा किया गया है) उन से वाक़िफ़ होता तो इसे जानो दिल से ज़ियादा अ़ज़ीज़ (प्यारा) रखता। मज़ीद फ़रमाते हैं : जहां तक हो सके इस के पढ़ाने और ह़िफ़्ज़ कराने और ख़ुद याद रखने में कोशिश करे ताकि वोह सवाब जो इस पर मौऊ़द (या'नी वा'दा किये गए) हैं ह़ासिल हों और बरोज़े क़ियामत **अन्धा कोढ़ी** उठने से नजात पाए।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 23, स. 645, 647)

ماخذ و مراجع

کتاب	مطبوعہ	کتاب	مطبوعہ
قرآن مجید		ابن عساکر	دارالفکر بیروت
خزائن العرفان	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	جمع الجوامع	دارالکتب العلمیۃ بیروت
بخاری	دارالکتب العلمیۃ بیروت	غنیہ	سہیل اکیڈمی مرکز الاولیا لاہور
مسلم	دارابن حزم بیروت	درمختار وردالمحتار	دارالمعرفۃ بیروت
ابوداؤد	داراحیاء التراث العربی بیروت	عالمگیری	دارالفکر بیروت
ترمذی	دارالفکر بیروت	فتاوی رضویہ	رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیا لاہور
ابن ماجہ	دارالمعرفۃ بیروت	بہار شریعت	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

येह रिसाला पढ़ लेने के बा'द सवाब की निय्यत से किसी को दे दीजिये